दिनांक 11 नवंबर 2016 को बराद सदन शैक्षणिक खंड, गंगटोक में आयोजित शैक्षणिक परिषद की 20वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 11 नवंबर 2016 को सुबह 11:00 बजे बराद सदन सम्मेलन कक्ष में शैक्षणिक परिषद की 20वीं बैठक आयोजित की गयी थी। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1. प्रो. टी.बी.सुब्बा, कुलपति - अध्यक्ष
2. प्रो. दीपक कुमार श्रीवास्तव, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, प्रबंधन संस्थान, निरमा विश्वविद्यालय, अहमदाबाद - सदस्य
3. डॉ. सांतनु दे, इतिहास विभाग, राम कृष्ण विद्या मंदिर, बेलुर मठ, हावड़ा - सदस्य
4. डॉ. गणेश जी तिवारी, प्राचार्य, सिक्किम सरकारी विधि महाविद्यालय, बुर्तुक - सदस्य
5. डॉ. संध्या राई, प्राचार्य, लोयोला शिक्षा महाविद्यालय, नामची - सदस्य
6. प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग, डीन, जीवन विज्ञान विद्यापीठ - सदस्य
7. प्रो. इर्शाद गुलाम अहमद, डीन, भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ - सदस्य
8. प्रो. वी.रमा देवी, डीन, व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ - सदस्य
9. प्रो. इम्तियाज़ गुलाम अहमद, डीन, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ - सदस्य
10. डॉ. सुबीर मुखोपाध्याय, डीन, भौतिक विज्ञान विद्यापीठ - सदस्य
11. डॉ. नूतन कुमार एस. थिंगुजाम, डीन, मानव विज्ञान विद्यापीठ - सदस्य
12. डॉ. एस. मणिवन्णन, डीन, छात्र कल्याण - सदस्य
13. डॉ. देवाशिश चौधुरी, परीक्षा नियंत्रक - सदस्य

14. डॉ. नवल के. पासवान, - सदस्य
अध्यक्ष, शांति एवं द्वंद्व अध्ययन एवं प्रबंधन विभाग

15. डॉ. विजय कुमार थंगेल्लापाली, - सदस्य
अध्यक्ष, इतिहास विभाग

16. प्रो. अभिजीत दत्ता, - सदस्य
प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग

17. डॉ. धनीराज छेत्री, - सदस्य
अध्यक्ष, बॉटनी विभाग

18. डॉ. एच.के.तिवारी, - सदस्य
अध्यक्ष, सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग

19. डॉ. मनीष, - सदस्य
अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग

20. डॉ. लक्ष्मण शर्मा, - सदस्य
अध्यक्ष, उद्यानिकी विभाग

21. डॉ. कोमल सिंघा, - सदस्य
आधायक्ष, अर्थशास्त्र विभाग

22. डॉ. दुर्गा प्रसाद छेत्री, - सदस्य
अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग

23. डॉ. स्वाति ए. सचदेवा - सदस्य
अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग

24. डॉ. कोटरा राइन राम मोहन, - सदस्य
अध्यक्ष, मानवशास्त्र विभाग

25. डॉ. शिलाजीत गुहा, - सदस्य
अध्यक्ष, जनसंचार विभाग

26. डॉ. अमिताभ भट्टाचार्य, - सदस्य
अध्यक्ष, भौतिकी विभाग

27. डॉ. कृष्णेन्दु दत्ता - सदस्य
अध्यक्ष, संगीत विभाग

28. डॉ. मोहन प्रताप प्रधान, - सदस्य
अध्यक्ष, कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग

29. डॉ. टी.एम.एस.सुबर्न राजू, - सदस्य
अध्यक्ष, शिक्षा विभाग

30. डॉ. पुष्पा शर्मा, - सदस्य
सह प्राध्यापक, नेपाली विभाग

31. डॉ. एस.एस. महापात्र, - सदस्य
सह प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग

32. डॉ. एन. सत्यनारायण, - सदस्य

सह प्राध्यापक, बॉटनी विभाग

33. श्री पी.के.सिंह, वित्त अधिकारी - विशेष आमंत्रि

34. श्री टी.के.कौल, कुलसचिव - सचिव

निम्नलिखित सदस्य उनके पूर्वनिर्धारित कार्यों के लिए बैठक में उपस्थित नहीं हो सकें और अनुपस्थिति की छुट्टी मांगी।

1. प्रो. एस.पी.एस. राजपूत
2. प्रो. कामाख्या प्रसाद
3. डॉ. टंकनाथ शर्मा खातिवरा
4. प्रो. राजेश शरण
5. प्रो. आनंद मुखोपाध्याय
6. प्रो. ए.एस.चंदेल
7. प्रो. प्रताप चंद्र प्रधान
8. डॉ. संध्या थापा

डॉ. एस.के.गुरुंग, संयुक्त कुलसचिव (शैक्षणिक) और श्री सत्यम राणा, सहायक परिषद को सहयता देने के लिए उपस्थित थे।

शुरू में अध्यक्ष ने परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत किया। इसके बाद, निम्नलिखित एजेंडाओं पर चर्चा की गयी :

खंड 1

कार्यवृत्त की संपुष्टि और कार्रवाई रिपोर्ट

एसी20.1.1: ***दिनांक 3 जून 2016 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 19वीं बैठक के कार्यवृत्त की संस्तुति***

3 जून 2016 को आयोजित शैक्षणिक परिषद के 19वीं बैठक के कार्यवृत्त सभी सदस्यों को 13 जून 2016 को ई-मेल और 20 जून 2016 को पोस्ट के द्वारा प्रसारित किए गए थे। प्रो. वी. रमा देवी ने जानकारी दी है कि आइटम एसी19.4.F7 के अंतर्गत एम.कॉम पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम के क्रेडिट को 90 क्रेडिट के बजाय 96 क्रेडिट के रूप में संशोधित किया जाना चाहिए।

परिषद ने उक्त संशोधन के साथ दिनांक 3 जून 2016 को आयोजित शैक्षणीक परिषद की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

एसी 20.1.2: ***दिनांक 3 जून 2016 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 19वीं बैठक के कार्यवृत्त पर ली गयी कार्रवाई की रिपोर्ट***

सचिव ने परिषद की 19 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई को नोट किया।

खंड 2

सूचनात्मक विषय

एसी 20.2.1: ***विश्वविद्यालय में एम.फिल/पीएचडी के पंजीकरण लिए रूपरेखा (सिनोप्सिस)***

परिषद ने विश्वविद्यालय में एम.फिल/पीएचडी पंजीकरण के लिए रूपरेखा (सिनॉप्सिस) पर विभिन्न विद्यापीठ बोर्ड द्वारा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार दी गयी मंजूरी को नोट किया :

क्र.सं.	विद्यापीठ का नाम	विभाग का नाम	पंजीकृत सिनॉप्सिस की संख्या	
			एम.फिल	पीएचडी
1)	जीवन विज्ञान विद्यापीठ	उद्यानिकी	--	4
2)	मानव विज्ञान विद्यापीठ	मनोविज्ञान	--	2
		भूगोल	--	2
3)	भौतिक विज्ञान विद्यापीठ	रासायनिकी	--	2
4)	भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ	नेपाली	--	1
5)	सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ	अंतर्राष्ट्रीय संबंध	--	2
		समाजशास्त्र	--	3
		इतिहास	--	1
		अर्थशास्त्र	--	1

अध्यक्ष ने बताया कि विद्यापीठ बोर्ड के स्तर पर सिनॉप्सिस के शीर्षक/उद्देश्यों में परिवर्तन किया जाएँ। इनको शैक्षणिक परिषद को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है।

खंड 3

अनुसमर्थित विषय

शून्य

खंड 4

विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ विषय

क) परीक्षकों के पैनल आदि

एसी 20.4.A1: बाह्य परीक्षकों का पैनल

परिषद ने तालिका में उल्लेखित उद्देश्यों के लिए संबन्धित विद्यापीठ बोर्ड द्वारा नीचे दिये गए विवरण के अनुसार संस्तुत बाहरी परीक्षकों के पैनल को अनुमोदित किया है।

1. मानव विज्ञान विद्यापीठ

क्र.सं.	*विभाग का नाम*	*बाह्य परीक्षक*
1.	मनोविज्ञान	एम.फिल शोध निबंध
2.	भूगोल	एम.फिल शोध निबंध

2. व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ

क्र.सं.	*विभाग का नाम*	*बाह्य परीक्षक*
1.	शिक्षा	एमए और एम.फिल शोध निबंध
2.	जनसंचार	एम.फिल शोध निबंध

3. भौतिक विज्ञान विद्यापीठ

क्र.सं.	*विभाग का नाम*	*बाह्य परीक्षक*
1.	भौतिकी	एम.फिल शोध निबंध
2.	रासायनिकी	एम.फिल शोध निबंध

4. भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ

क्र.सं.	*विभाग का नाम*	*बाह्य परीक्षक*
1.	अंग्रेजी	एम.फिल शोध निबंध
2.	हिन्दी	एम.फिल शोध निबंध
3.	नेपाली *	एम.फिल शोध निबंध

* अनजाने में स्कूल बोर्ड के मिनटों में दर्ज नहीं किया गया

5. सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ

क्र.सं.	*विभाग का नाम*	*बाह्य परीक्षक*
1.	पीसीएस एंड एम	एम.फिल शोध निबंध और पीएचडी शोध प्रबंध
2.	अंतर्राष्ट्रीय संबंध	एम.फिल शोध निबंध
3.	समाजशास्त्र	एम.फिल शोध निबंध / पीएचडी शोध प्रबंध
4.	अर्थशास्त्र	एम.फिल शोध निबंध
5.	राजनीति विज्ञान	एम.फिल शोध निबंध
6.	इतिहास	एम.फिल शोध निबंध / पीएचडी शोध प्रबंध
7.	विधि	एम.फिल शोध निबंध

परिषद ने उल्लेख किया कि एम.फिल और पीएचडी शोध प्रबंध की मौखिक परीक्षा के लिए बाहरी परीक्षक की शारीरिक उपलब्धता में काफी समय लगता है। इसलिए, परिषद ने सलाह दी कि विश्वविद्यालय आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके ऑनलाइन मौखिक परीक्षा आयोजित करने की संभावना तलाश सकता है।

ख) पाठ्यक्रम विवरणिका का मामला/पाठ्यक्रम आदि

एसी 20.4.B1:*विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों में सीबीसीएस के तहत एक सामान्य विषय के रूप में आईपीआर की शुरुआत*

यूजीसी ने दिनांक 15 जुलाई 2016 के पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) के तहत एक सामान्य वैकल्पिक विषय के रूप में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) शुरू करने का अनुरोध किया है।

विचार-विमर्श के बाद परिषद ने विश्वविद्यालय और सम्बद्ध महाविद्यालयों में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) को स्नातक स्तर में एक सामान्य फ़ाउंडेशन पाठ्यक्रम के रूप में शुरू करने को मंजूरी दी। परिषद ने पाठ्यक्रम डिजाइन समिति का गठन भी निम्नानुसार किया:

1. डॉ. लक्ष्मण शर्मा, संयोजक
2. डॉ. के.राम मोहन
3. डॉ. प्रवीण मिश्रा
4. डॉ. भोज कुमार आचार्य
5. डॉ. संतोष कुमार राई

समिति प्रो. दीपक श्रीवास्तव से योगदान प्राप्त करें।

एसी 20.4.B2: उद्यानिकी में पीएचडी कोर्स वर्क के लिए पाठ्यक्रम विवरणिका

उद्यानिकी विभाग के अध्यक्ष ने उद्यानिकी में पीएचडी के कोर्स वर्क के लिए पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसे परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था।

एसी 20.4.B3: अध्ययन यात्रा के तहत बीएससी (उद्यानिकी) पाठ्यक्रम सामग्रियों में परिवर्तन

जीवन विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर परिषद ने नीचे दिए गए अध्ययन दौरे के तहत बीएससी (उद्यानिकी) पाठ्यक्रम की सामग्रियों में प्रस्तावित बदलावों को मंजूरी दी :

i) HOR-UG-308 वर्तमान में ' नॉर्थ ईस्ट स्टडी टूर (शीतकालीन अवकाश)' शीर्षक को "क्षेत्र स्तरीय संस्थानों में क्षेत्र यात्रा (शीतकालीन अवकाश)" में परिवर्तित करने के लिए प्रस्तावित है और

ii) HOR-UG-702 वर्तमान में 'सर्व भारत अध्ययन यात्रा (शीतकालीन अवकाश)' शीर्षक को 'राष्ट्र स्तरीय संस्थान में क्षेत्र यात्रा' में परिवर्तित करने के लिए प्रस्तावित है।

परिषद ने नोट किया कि अध्ययन यात्रा में केवल 1 क्रेडिट होता हैं। इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि अध्ययन यात्रा को अधिक गंभीरता से लिया जाए, लंबी अवधि का हो, अधिक क्रेडिट के साथ अधिक संस्थानों को कवर किया जाए। पाठ्यक्रम में संशोधन करते समय इस तरह के पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

एसी 20.4.B4: 3 वर्षीय बी.एड (अंशकालीन) पाठ्यक्रम के लिए पाठ्य विवरण डिजाइन करना

शिक्षा विभाग के अध्यक्ष ने 3 वर्षीय बी.एड (अंशकालिक) कार्यक्रम का पाठ्य विवरण प्रस्तुत किया जिसे परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था।

एसी 20.4.B5: एमए पर्यटन के पाठ्य विवरण की समीक्षा

प्रभारी, पर्यटन विभाग ने निम्नानुसार नाम, कार्यक्रम संरचना और पाठ्यक्रम सामग्री में परिवर्तन की व्याख्या की:

- साहसिक पर्यटन और पर्यटन अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम को दूसरे और तीसरे सेमेस्टर के बीच अदल-बदल किया जाना है
- प्रथम सेमेस्टर में कराधान अवधारणाओं को और तृतीय सेमेस्टर में साहसिक पर्यटन को मुक्त पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए।
- प्रबंधन के कार्यात्मक क्षेत्रों में पहुँच प्रदान करने के लिए TOU-PG-C204 की सामग्री में संगठनात्मक व्यवहार के अलावा मानव संसाधन, लेखा और वित्त के विषयों को शामिल किया जाएँ। न
- चतुर्थ सेमेस्टर चार में क्षेत्र अध्ययन को परियोजना कार्य से बदल दिया जाएगा और क्षेत्र अध्ययन परियोजना कार्य का एक अभिन्न हिस्सा होगा।
- संचार कौशल (TOU-PG-C203), पर्यटन अर्थशास्त्र (TOU-PG-C301) और पर्यटन विपणन (TOU-PG-C402) की सामग्री में परिवर्तन का सुझाव दिया गया था।

चूंकि 'इवेंट मैनेजमेंट' (TOU-PG-O404) पथयारकम में पाँच इकाइयाँ थीं, इसलिए विद्यापीठ बोर्ड ने इकाइयों को चार में पुनर्गठित करने की सिफारिश की।

परिषद ने संशोधित कार्यक्रम संरचना और पाठ्यक्रम सामग्री को मंजूरी दे दी और स्कूल बोर्ड की सिफारिशों पर कार्यकारिणी परिषद की मंजूरी के लिए पाठ्यक्रम के नाम को एमए पर्यटन से यात्रा एवं पर्यटन प्रबंधन निष्णात (एमटीटीएम) के रूप में परिवर्तित करने तथा 2017-18 सेव्यवस्यायिक शुल्क लेने के लिए सिफ़ारिश की ।

एसी 20.4.B6: पर्यटन में एम.फिल कोर्स वर्क के लिए पाठ्य-विवरण का प्रारूप बनाना

प्रभारी, पर्यटन विभाग ने पर्यटन में एम.फिल कोर्स वर्क का पाठ्य-विवरण प्रस्तुत किया जिसे परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

एसी 20.4.B7: संगीत में पीएचडी कोर्स वर्क के लिए पाठ्य-विवरण का प्रारूप बनाना

अध्यक्ष, संगीत विभाग ने पर्यटन में पीएचडी कोर्स वर्क का पाठ्य-विवरण प्रस्तुत किया जिसे परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

एसी 20.4.B8: चीनी में पीएचडी पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना

भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर परिषद ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2017-18 से एक पीएचडी सीट के साथ चीनी विभाग में पीएचडी पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

एसी 20.4.B9: चीनी में पीएचडी कोर्स वर्क के लिए पाठ्य-विवरण

प्रभारी, चीनी विभाग ने चीनी में पीएचडी कोर्स वर्क के लिए पाठ्य-विवरण प्रस्तुत किया जिसे परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था।

एसी 20.4.B10: शांति और द्वंद्व अध्ययन एवं प्रबंधन में एमए में एक वैकल्पिक पेपर की शुरुआत

शांति और द्वंद्व अध्ययन एवं प्रबंधन विभाग के अध्यक्ष ने इस मद को प्रस्तुत किया। शांति और द्वंद्व अध्ययन एवं प्रबंधन पाठ्यक्रम में एमए के चौथे सेमेस्टर में "मानव अधिकारों के सिद्धांत और व्यवहार" नामक एक वैकल्पिक पेपर की शुरूआत के लिए सामाजिक विज्ञान के विद्यापीठ बोर्ड की सिफारिशों को परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था।

एसी 20.4.B11:एमए समाजशास्त्र पाठ्यक्रम में एक वैकल्पिक पेपर की शुरुआत

समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष ने इस मद को प्रस्तुत किया। सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड की सिफारिशों पर परिषद ने एमए समाजशास्त्र पाठ्यक्रम में "शिक्षा के समाजशास्त्र में विषय-वस्तु और परिप्रेक्ष्य" नामक वैकल्पिक पेपर की शुरुआत करने को मंजूरी दी।

एसी 20.4.B12: राजनीति विज्ञान विभाग में मानव अधिकारों पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का परिचय

राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष ने इस मद को प्रस्तुत किया। छात्रों के लाभ के लिए "ऐड-ऑन" पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए पहल करने के लिए विभाग की सराहना की गई थी। हालांकि, परिषद ने छह इकाइयों को चार इकाइयों के पाठ्यक्रम में बदलने और अनुमोदन के लिए शैक्षणिक परिषद की अगली बैठक में फिर से प्रस्तुत करने का सुझाव दिया। विश्वविद्यालय को प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए विनियमों का मसौदा तैयार करने की भी आवश्यकता है। इसके लिए एक समिति का गठन प्रत्येक विद्यापीठ के प्रतिनिधियों के साथ किया जाना चाहिए।

एसी 20.4.B13: ***एमए अर्थशास्त्र का संशोधित पाठ्य-विवरण और एम.फिल/पीएचडी कोर्स वर्क के लिए पाठ्य-विवरण***

अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष ने इस मद को प्रस्तुत किया। परिषद ने अर्थशास्त्र में एमए के संशोधित पाठ्यक्रम को मंजूरी दे दी लेकिन बुनियादी और उन्नत अर्थमिति में दो पत्रों को मंजूरी दे दी जिन्हें अनुमोदन के लिए परिषद की अगली बैठक में फिर से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। एम.फिल/पीएचडी में कोर्स वर्क के लिए पाठ्य-विवरण को भी संशोधित करने और अनुमोदन के लिए परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

ग) संविधियाँ/अध्यादेश/विनियम से संबन्धित विषय

एसी 20.4.C1: अध्यादेश ओसी-6 और ओसी-7 में संशोधन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 5 मई 2016 को जारी अधिसूचना द्वारा यूजीसी (एम.फिल/ पीएचडी डिग्री के नियमन के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम 2016 की घोषणा की। एमफिल/पीएचडी पर विश्वविद्यालय के अध्यादेशों (ओसी-6 और ओसी-7) में अधिकांश प्रावधान उक्त विनियम, 2016 के अनुरूप हैं। ओसी-6 और ओसी-7 दोनों की धारा 5 के अंतर्गत "अवधि" के लिए यूजीसी विनियम, 2016 में निहित के अनुसार प्रावधानों को शामिल करते हुए ओसी-6 और ओसी-7 में संशोधन किया जाना चाहिए।

परिषद ने कार्यकारी परिषद में प्रत्येक मामले में खंड 5 के तहत अध्यादेश ओसी -6 और ओसी-7 में संशोधन की मंजूरी के लिए सिफारिश की।

घ) विविध विषय

एसी 20.4.D1: ***सीताराम जिंदल फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक प्रदान***

परिषद ने मामले पर विचार-विमर्श किया और सीताराम जिंदल फाउंडेशन द्वारा विभिन्न विषयों/पाठ्यक्रमों में हमारे विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए स्वर्ण पदक देने की सिफारिश की और स्वर्ण पदक प्रदान करने की शुरुआत करने के लिए संस्था द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों को कार्यकारिणी परिषद के अनुमोदन के लिए सिफ़ारिश की।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद कुलपति को आठ विषयों/पाठ्यक्रमों का चयन करने के लिए अधिकृत किया, जिनमें से तीन का चयन इंस्टीट्यूशन ऑफ गोल्ड मेडल के लिए फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा।

एसी 20.4.D2: जीवन विज्ञान विद्यापीठ के तहत विभाग के लिए वार्षिक अनुदान

परिषद ने जीवन विज्ञान विद्यापीठ के अंतर्गत प्रत्येक विभाग को वार्षिक अनुदान प्रदान करने के लिए जीवन विज्ञान विद्यापीठ के प्रस्ताव पर विचार किया। यह बताया गया कि प्रत्येक विज्ञान विभाग उपभोग्य वस्तुओं पर औसतन 15 लाख रुपये खर्च करता है। जैसे कि 5 लाख रुपये का आवंटन शायद पर्याप्त न हो। दूसरे, इसमें विभाग को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन शामिल है। वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन वर्तमान में विचाराधीन है और वित्त अधिकारी इस संबंध में विचार रख रहे हैं। विज्ञान विभागों में उपभोग्य वस्तुओं पर व्यय होने तक हमें कुछ और समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।

एसी 20.4.D3: 'क्षेत्र कार्य' से संबन्धित विषय

परिषद को सूचित किया गया था कि 'अध्ययन यात्रा' पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, लेकिन 'क्षेत्र कार्य' पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। संकाय के लिए फील्ड वर्क / स्टडी टूर के लिए प्रति दिन की दर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित की गई है। इसमें तबतक कोई वृद्धि नहीं की जा सकती है, जब तक सरकार दरों में संशोधन नहीं करता है। छात्रों के प्रति दिन के भत्ते के बारे में यह बताया गया कि छात्रों को दायर किए गए क्षेत्र कार्य व्यय का हिस्सा योगदान देना चाहिए।

एसी 20.4.D4: व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ में ई-जर्नल प्रारम्भ करने का प्रस्ताव

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद ई-जर्नल शुरू करने के लिए व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

एसी 20.4.D5: दो छात्रों के विपंजीकरण

परिषद ने उल्लेख किया कि अध्यादेश शोधार्थियों के विपंजीकरण और उसके बाद पंजीकरण की अनुमति नहीं देता है। हालांकि, परिषद ने सुझाव दिया कि कुलपति विपंजीकरण को देखने और अध्यादेश OC-6 और OC-7 में संशोधन का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन कर सकते हैं।

एसी 20.4.D6: एम.फिल शोध निबंध जमा करने की तिथि में वृद्धि

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद एम.फिल के शोध निबंध जमा करने की तिथि के विस्तार में भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ और सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ की सिफारिशों को निम्नानुसार मंजूरी दे दी :

i) अंग्रेजी विभाग के श्री धर्म चंद्र बराई और श्री अनूप शर्मा को उनके परिवारों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण एक सेमेस्टर अर्थात 30 जून 2017 तक
ii) हिन्दी विभाग की सुश्री नूनीता राई और सुश्री रंजू गुप्ता राई को ग्रंथ सूची की तैयारी को पूरा करने की स्थिति में नहीं होने के कारण एक सेमेस्टर अर्थात 30 जून 2017 तक
iii) नेपाली विभाग के श्री रत्न बहादुर रसाइली और सुश्री बिजया तामांग को एक सेमेस्टर अर्थात 30 जून 2017 तक
iv) राजनीति विज्ञान विभाग के श्री तमिला परासेठ को एक सेमेस्टर
v) अर्थशास्त्र विभाग की प्रणति दास, हंगमा बसुमतरी और यमन घटानी को एक सेमेस्टर
vi) इतिहास विभाग के बैरा गंजन दाश, सशिकला सन्यासी और स्मृति शंकर को एक सेमेस्टर

परिषद ने हालांकि कहा कि अधिकांश मामलों में कोई कारण नहीं बताया गया है। भविष्य में, विद्यापीठ बोर्डों को एम.फिल शोध प्रबंध में विस्तार के अनुदान के कारणों पर विचार करना चाहिए

एसी 20.4.D7: प्रवेश में एनएसएस स्वेच्छासेवियों को अनुग्रह अंक

परिषद ने 23 अप्रैल 2013 को सचिव, यूजीसी के पत्र पर विचार किया, यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों से स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों कार्यक्रमों के लिए क्रेडिट आधारित सेमेस्टर योजना के तहत एनएसएस को सह-पाठयक्रम गतिविधि के रूप में मान्यता देने का अनुरोध किया और स्नातक और स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए अनुग्रह अंक देने पर विचार किया।

परिषद ने उन आवेदकों के संबंध में विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अर्हक परीक्षाओं/केंद्रीय प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों में 5 अंक जोड़ने के लिए विचार-विमर्श के बाद मंजूरी दी, जिन्होंने एनएसएस में न्यूनतम 200 घंटे का अनुभव प्रदान किया है।

खंड 5
प्राधिकरणों/समितियों का कार्यवृत्त

एसी 20.5.1: ***दिनांक 2 नवंबर 2016 को आयोजित जीवन विज्ञान विद्यापीठ, सिक्किम विश्वविद्यालय की 5वीं बैठक का कार्यवृत्त***

परिषद द्वारा नोट किया गया।

एसी 20.5.2: ***दिनांक 31 अक्टूबर 2016 को आयोजित मानव विज्ञान विद्यापीठ, सिक्किम विश्वविद्यालय की 6वीं बैठक का कार्यवृत्त***

परिषद द्वारा नोट किया गया।

एसी 20.5.3: ***दिनांक 3 नवंबर 2016 को आयोजित व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ, सिक्किम विश्वविद्यालय की 5वीं बैठक का कार्यवृत्त***

परिषद द्वारा नोट किया गया।

एसी 20.5.4: ***दिनांक 2 नवंबर 2016 को आयोजित भौतिक विज्ञान विद्यापीठ, सिक्किम विश्वविद्यालय की 6वीं बैठक का कार्यवृत्त***

परिषद द्वारा नोट किया गया।

एसी 20.5.5: ***दिनांक 2 नवंबर 2016 को आयोजित भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ, सिक्किम विश्वविद्यालय की 6वीं बैठक का कार्यवृत्त***

परिषद द्वारा नोट किया गया।

एसी 20.5.6: ***दिनांक 3 नवंबर 2016 को आयोजित सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, सिक्किम विश्वविद्यालय की 6वीं बैठक का कार्यवृत्त***

परिषद द्वारा नोट किया गया।

सूचीबद्ध विषय

एसी 20.5.7: दिनांक 5 नवंबर 2016 को आयोजित महविद्यालय विकाश परिषद की 6वीं बैठक का कार्यवृत्त

शैक्षणिक परिषद ने 5 नवंबर 2016 को आयोजित महविद्यालय विकास परिषद की 6 वीं बैठक के कार्यवृत्त को मंजूरी दी। परिषद ने निम्नलिखित मदों के लिए विशिष्ट अनुमोदन/सिफारिशें दीं:

i) गवर्नमेंट वोकेशनल कॉलेज, डैंताम को अस्थायी संबद्धता प्रदान करने के लिए तथा इसके द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए पाठ्यक्रमों की मान्यता के लिए एआईसीटीई को आवेदन करने के लिए कॉलेज को आवश्यक 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' देने के लिए कार्यकारिणी परिषद को सिफ़ारिश की गयी।

ii) परिषद ने नामची सरकारी महाविद्यालय, नामची में 2 पीजी विषय शुरू करने के संबंध में कॉलेज विकास परिषद की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, बशर्ते कि अप्रैल 2017 में भेजी जानेवाली निरीक्षण टीम द्वारा इसकी सिफ़ारिश की हो।

iii) परिषद ने बी.एड (अंशकालीन) पाठ्यक्रम पर विनियम को कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुमोदन करने हेतु सिफ़ारिश की।

iv) परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2017-18 से सभी कॉलेजों में स्नातक स्तर पर ऑनर्स कोर्स के साथ-साथ ऑनर्स कोर्स शुरू करने में कॉलेज विकास परिषद की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। पास और ऑनर्स कोर्स की अनुमति के लिए प्रासंगिक विनियमों में संशोधन करने की कार्रवाई विश्वविद्यालय द्वारा शुरू करने की आवश्यकता है।

v) विचार-विमर्श करने के लिए परिषद ने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के विभागों में समान रूप से तीन सेमेस्टर अर्थात IV, V और VI सेमेस्टर में व्याप्त फाउंडेशन पेपर के संचालन की सिफारिशों को मंजूरी दे दी।

1. अनिवार्य अंग्रेजी
2. पर्यावरणिक अध्ययन (ईएनवीएस)
3. पूर्वी हिमालय अध्ययन (ईएचएस)/ मानव अधिकारी (एचआर)/लोक प्रशासन (पीए)/ लिंग अध्ययन (जीएस)

बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) को भी क्र.सं.3 में जोड़ा जाना है

vi) काउंसिल ने एंड सेमेस्टर परीक्षा में व्यावहारिक परीक्षा को शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम को बदलने के लिए महविद्यालय विकास परिषद की सिफारिशों को मंजूरी दे दी, ताकि पास कोर्स में प्रत्येक विषय में तीन पेपर में से कम से कम एक व्यावहारिक पेपर हो और ऑनर्स कोर्स में 9 में से 3 व्यावहारिक पेपर हों । प्रत्येक व्यावहारिक पेपर में 100 अंक या प्रत्येक में 4 क्रेडिट होने चाहिए। व्यावहारिक घटक वाले सभी पाठ्यक्रमों में इस तरह के प्रावधान को शामिल किया जाएँ, जब वे अगले वर्ष प्रमुख पाठ्यक्रम संशोधन के लिए जाते हैं।

vii) परिषद ने मौजूदा विश्वविद्यालय अध्यादेश ओसी-6 और ओसी-7 के दायरे में 2017-18 से संयुक्त पर्यवेक्षण के आधार पर हर्कामाया शिक्षा महाविद्यालय में एम.फिल/पीएचडी कार्यक्रम शुरू करने के लिए महविद्यालय विकास परिषद की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। संयुक्त पर्यवेक्षण के आधार पर।

viii) परिषद ने सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज, तादोंग में 9 पीजी विषयों को शुरू करने में महविद्यालय विकास परिषद की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, बशर्ते कि अप्रैल 2017 में भेजी जानेवाली निरीक्षण टीम द्वारा इसकी सिफ़ारिश की हो।

ix) प्रस्तावित इंजीनियरिंग कॉलेज, चिसोपानी, दक्षिण सिक्किम के चिसोपानी के लिए अस्थायी संबद्धता के संबंध में विचार-विमर्श करने के बाद परिषद ने एआईसीटीई को आवेदन करने के लिए प्रस्तावित "सिक्किम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (सिस्ट)" को अवसंरचना की उपलब्धता अनापत्ति प्रमाण पत्र देना स्थगित कर दिया। ।

खंड 6
अध्यक्ष की ओर से विषय

एसी 20.6.1: अध्यक्ष ने परिषद को सूचित किया कि विश्वविद्यालय ने यूजीसी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद लेप्चा, भूटिया और लिम्बू नाम से तीन नए विभाग शुरू किया। इन विभागों के लिए एक अलग भवन किराए पर लिया गया था। भवन में कमरे शायद ही 20 सीटों को समायोजित कर सकते हैं और इसलिए एमए पाठ्यक्रम के लिए इनमें से प्रत्येक विभाग को केवल 20 सीटें आवंटित की गई थीं। इन विभागों के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए इन समुदायों, छात्रों, अभिभावकों और अन्य लोगों का बहुत दबाव था। जगह की कमी को दूर करने के लिए लेप्चा, भूटिया और लिम्बु के संबंधित भवनों में कक्षाएं चलाने का भी सुझाव दिया गया था। विश्वविद्यालय की टीम ने सभी तीनों भवनों का दौरा किया और इन समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन भवनों में बुनियादी ढांचा, जो कक्षाएं शुरू करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त नहीं हैं।

परिषद ने इन विभागों में सीटों की संख्या में कुछ समय के लिए वृद्धि नहीं करने का सुझाव दिया।

एसी 20.6.2: विश्वविद्यालय में लिम्बु विभाग को 'लिम्बु' के रूप में जाना जाता है, लेकिन सिक्किम सरकार में 1980 से 'लिम्बू' शब्द का उपयोग किया जा रहा है। विश्वविद्यालय की संविधि 15 के खंड 6 (ए) ने इसे 'लिम्बु' के रूप में लिखा है। जैसा कि संविधि में दिये गए प्रावधान के अनुसार विभाग का नाम 'लिम्बु' विभाग के रूप में रहेगा।

एसी 20.6.3: सिक्किम सरकार में एसएचईडीए कॉलेजों से बौद्ध मठ के पाठ्यक्रम 'आचार्य' और 'शास्त्री' चल रहे हैं, जो सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 6 के उल्लंघन में सम्पूर्णानंद विश्वविद्यालय, वाराणसी से संबद्ध हैं। उन कॉलेजों ने 'आचार्य' और 'शास्त्री' की डिग्री के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय से तुल्यता मांगी है।

परिषद ने उल्लेख किया कि चूंकि ये कॉलेज सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम के उल्लंघन में चल रहे हैं और सिक्किम सरकार ने अब तक केंद्र सरकार से सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार से छूट का आदेश नहीं लिया है, एसएचईडीए कॉलेजों से निकलने वाले छात्रों को दिए गए 'आचार्य' और 'शास्त्री 'की डिग्री की समक्षता पर इस चरण में विचार नहीं किया जा सकता है।

एसी 20.6.4: सिक्किम विश्वविद्यालय के छात्र संघ (सूसा) के गठन और इसकी अधिसूचना पर कार्यकारिणिनी परिषद के अनुमोदन के अनुसार सूसा की कार्यकारी समिति के विभिन्न पदों पर चुनाव की प्रक्रिया अक्टूबर 2016 में पूरी हो गई है और एक नई निर्वाचित सूसा टीम ने पदभार संभाल लिया है । कुलपति के साथ एक बैठक में सूसा की कार्यकारी समिति के सदस्यों ने सिक्किम विश्वविद्यालय के विभिन्न वैधानिक निकायों में अन्य बातों के साथ सदस्यता की मांग की है

काउंसिल ने विचार-विमर्श के बाद सूसा के अनुरोध से सहमति नहीं जताई कि विश्वविद्यालय के वर्तमान छात्रों के बजाय ऐसे प्रावधान केवल पूर्व छात्रों के लिए ही होने चाहिए। अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि शैक्षणिक परिषद और कार्यकारिणी परिषद में पूर्व छात्रों को शामिल करने का प्रस्ताव पहले ही एमएचआरडी को सांविधिक के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन के लिए भेजा जा चुका है।

एसी 20.6.4:सदस्यों में से एक ने बताया कि सभी पाठ्यक्रमों के पाठ्य-विवरणों को संशोधित किया जाना है। समय पर प्रक्रिया शुरू करने के लिए कुसलचिव सभी विभागों को नोटिस जारी करें ताकि सभी पाठ्यक्रमों के संशोधित पाठ्यक्रम समय के साथ अच्छी तरह से तैयार हों।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

हस्ता/-
(टी.के.कौल)
कुलसचिव एवं सचिव

हस्ता/-
(टी.बी.सुब्बा)
कुलपति एवं अध्यक्ष